

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह।

संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन की सूचना

ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-4729 दिनांक 04.06.2007 एवं नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य (संशोधन नियमावली 2012) के संकल्प संख्या-6440 दिनांक 17.07.2012, पत्रांक-6718 दिनांक 28.07.2012 संकल्प सं0-(N)848 दिनांक 21.03.2017 एवं पत्रांक-(N)1786 (अनु0) दिनांक 12.06.2017 के आलोक में सूचित किया जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह के अधीन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संविदा के आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु मेधा (पैनल) सूची तैयार करने के लिए आवश्यक योग्यता/अर्हता धारी इच्छुक आवेदकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वर्तमान में रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	पद का नाम	कुल रिक्त पद	सामान्य	अ0पि0व0	पि0व0	अनु0 जाति	अ0ज0ज0
क	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	12	06	02	02	01	01
ख	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	13	07	02	02	01	01
ग	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	25	12	04	03	03	03
घ	कम्प्यूटर सहायक	05	02	01	0	01	01
ङ	लेखा सहायक	04	02	01	0	0	01

नोट :- उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य कोटि के लिए 200/- (दो सौ) रु०, अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के लिए 100/- (एक सौ) रु० एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विकलांग कोटि के लिए 50/- (पचास रुपये) रु० मात्र शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट (राष्ट्रीयकृत बैंक से) उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के नाम से देय होगा। साथ ही ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात आवेदक को ऑनलाईन भरे गये आवेदन की प्रिंटआउट प्रति फोटो के साथ, सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी के निर्धारण हेतु आवासीय प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह (डी.आर.डी.ए.) के पते पर दिनांक 26.08.2017 तक कार्यालय अवधि में निबंधित डाक द्वारा अनिवार्य रूप से भेजना होगा। साथ ही लिफाफा के ऊपर पदनाम अंकित करना आवश्यक है।

नियुक्ति की शर्तें एवं आवेदन हेतु विहित प्रपत्र गिरिडीह जिला के वेबसाईट www.giridih.nic.in पर उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19.08.2017 को 05:00 बजे अपराहन तक निर्धारित है।

1. **परिलिखि (प्रति माह) :-** प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए 19500/- (उन्नीस हजार पाँच सौ) रु०, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) के लिए 19532/- (उन्नीस हजार पाँच सौ बत्तीस) रु०, तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के लिए 17520/- (सत्रह हजार पाँच सौ बीस) रु०, कम्प्यूटर सहायक के लिए 10000/- (दस हजार) रु०, लेखा सहायक के लिए 10000/- (दस हजार) रु०,
2. **(क) प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए वांछित/अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ :-**

(I) अनिवार्य योग्यता :-

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण या जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा तथा घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा।

(II) अतिरिक्त योग्यता :-

- (a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA/PGDBA/PGDBM/PGDRD/BCA/B.SC Computer/B.SC Computer Honours तथा MCA/M.SC (Computer Science) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जाएगी। MBA & PGDBM/PGDBA/PGDRD में समतुल्यता लाने हेतु PGDBA/PGDBM/PGDRD के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर MBA की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। BCA तथा सामान्य B.SC Computer को B.SC Computer Honours की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा B.SC Compute Honours कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।
 - (b) MCA/M.SC Computer को समान योग्यताएँ समझा जाएगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में MCA की कोटि में जोड़े जायेगे। PGDCA तथा MCA में समतुल्यता लाने हेतु PGDCA के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने BCA or B.SC Computer Science or B.SC Computer Honours के पश्चात PGDCA किया हो अन्यथा PGDCA के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसे प्राप्तांक को MCA की कोटि में रखा जायेगा।
2. **(ख) तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) पद के लिए वांछित/अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ :-**
 - (I) **अनिवार्य योग्यता :-** सरकारी मान्यता संस्थान से सिविल संकाय में BE or B.Tech. अनिवार्य योग्यता होगी।

(II) अतिरिक्त योग्यता :-

- (a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में M.Tech. तथा PGDCA/MCA/M.SC Computer Science अतिरिक्त योग्यता होगी।
- (b) MCA/M.SC Computer को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में MCA की कोटि में जोड़े जायेंगे। PGDCA & MCA में समतुल्यता लाने हेतु PGDCA के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।
2. (ग) तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) पद के लिए वांछित/अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ:-

(I) अनिवार्य योग्यता :- सरकारी मान्यता संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी।

(II) अतिरिक्त योग्यता :-

- (a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में B.Tech./BE, BCA/B.SC Computer/B.SC Computer Honours तथा MCA/PGDCA/M.SC Computer Science अतिरिक्त योग्यता होगी।
- (b) BCA तथा सामान्य B.SC Computer को B.SC Computer Honours की श्रेणी में लाने हेतु उनके प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेगे तथा B.SC Computer Honours की कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।
- (c) MCA/M.SC Computer को समान योग्यता समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में MCA की कोटि में जोड़े जायेंगे। PGDCA तथा MCA में समतुल्यता लाने हेतु PGDCA के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।
2. (घ) लेखा सहायक पद के लिए वांछित/अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ:-

(I) अनिवार्य योग्यता :- सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से B.Com. Honours या सामान्य B.Com. न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य B.Com. उत्तीर्ण जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात M.Com. किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु B.Com (General) के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे B.Com Honours की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(II) अतिरिक्त योग्यता :-

- (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से M.Com., B.SC तथा MCA/PGDCA/M.SC अतिरिक्त योग्यता होगी।
- (b) MCA/M.SC Computer को समान योग्यता समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में MCA की कोटि में जोड़े जायेंगे। PGDCA तथा MCA में समतुल्यता लाने हेतु PGDCA के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा, जबकि अभ्यर्थी ने BCA के पश्चात PGDCA किया हो अन्यथा PGDCA के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उनके प्राप्तांक प्रतिशत को MCA की कोटि में रखा जायेगा।
2. (ङ) कम्प्यूटर सहायक पद के लिए वांछित/अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ:- :-

(I) अनिवार्य योग्यता :-

- (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से B.SC Computer Honours/B.SC Computer General/BCA/ सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात PGDCA उत्तीर्ण।
- (b) BCA तथा सामान्य B.SC Computer के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे B.SC Computer Honours की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात PGDCA किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर B.SC Computer Honours की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(II) अतिरिक्त योग्यता :-

- (a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से MCA/PGDCA/M.SC Computer Science अतिरिक्त योग्यता होगी।
- (b) MCA/M.SC Computer को समान योग्यता समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में MCA की कोटि में जोड़े जायेंगे। PGDCA तथा MCA में समतुल्यता लाने हेतु PGDCA के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा, जबकि अभ्यर्थी ने BCA/सामान्य B.SC Computer Honours के पश्चात PGDCA किया हो तो PGDCA के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उनके प्राप्तांक प्रतिशत को MCA की कोटि में रखा जायेगा।
- उपरोक्त सभी पदों में वर्णित वांछित शैक्षणिक योग्यताएं, जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होगी।
- **आयु सीमा :-** दिनांक 31.05.2017 तक न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित-35 वर्ष, पिछड़ा / अत्यंत विछड़ा वर्ग-37 वर्ष, महिला-अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत विछड़ा वर्ग-38 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला)-40 वर्ष।
- **आरक्षण :-** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण रोस्टर गिरिडीह जिला के तत्समय निर्गत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के ज्ञापांक संख्या-5/आ0-03/2001-5776/राँची, दिनांक 10.10.2002 के आलोक में विकलांगों एवं महिलाओं को आरक्षण (क्षैतिज) का लाभ दिया जायेगा।
- **नियुक्ति हेतु अन्य शर्तें :-**
- (i) उपरोक्त सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।
- (ii) प्रारम्भिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी। तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा अन्यथा ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (iii) उपरोक्त सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन गिरिडीह जिला के किसी प्रखण्ड/ पंचायत में करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

- (iv) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेंगे तो उसे अपने नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि के सेवा की आवश्यकता नहीं होने पर वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
- (v) उपरोक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा तथा उसे आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया है। यदि उनका यह शपथ पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।
- (vi) एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन समर्पित कर सकेगा। प्रत्येक पद हेतु निर्धारित शुल्क अलग-अलग देय होगा।
3. प्रशिक्षण :- प्रशिक्षण अवधि एवं स्थल का निर्धारण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
 4. रिक्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकता है।
 5. तकनीकी ज्ञान हेतु लिखित / साक्षात्कार परीक्षा ली जा सकती है।
 6. प्रथम मेघा क्रमांक का निर्धारण अभ्यर्थी के निर्धारित योग्यता में प्राप्तांक प्रतिशत के औसत अंक के आधार पर किया जायेगा।
 7. नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

नोट:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के ज्ञापांक-3198, दिनांक 18.04.2016 के अनुरूप निर्गत स्थानीय/जाति प्रमाण पत्र हेतु ही मान्य होगा।

ह/

उपायुक्त,
गिरिडीह।

ज्ञापांक.....2028/अभि0 गिरिडीह दिनांक.....31.07.2017.

प्रतिलिपि:- डी.आई.ओ., एन.आई.सी. गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संविदा आधारित नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन का सॉफ्टवेयर तैयार कर गिरिडीह के वेबसाईट www.giridih.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त,
गिरिडीह।